राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री चेतन देवड़ा आई.ए.एस)

प्रकरण सं. 05/2019 दायर दिनांकः–05.09.2018

फैसल दिनांकः–22.05.2019

श्री मोतीलाल कलाल पिता नाथुलाल कलाल, उचित मूल्य दुकानदार सेन्टर माण्डवा–द्वितीय तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)

अपीलान्ट.....

बनाम

श्री सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर (राज0)

रेस्पोडेन्ट.....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

– : निर्णय : –

यह अपील प्रार्थी द्वारा विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के इस आशय के प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की उचित मूल्य दुकान सेन्टर माण्डवा–द्वितीय का अनुज्ञा पत्र एफ.पी.एस. कोड़ 25124 को रेस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर ने उनके प्रकरण संख्या 5/2018 दिनांक 29.05.2018 द्वारा निरस्त किये जाने से असंतुष्ट होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत उक्त आदेश अपास्त करने हेतु पेश किया हैं।

प्रकरण का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थी उचित मूल्य माण्डवा–द्वितीय का दूकानदार होकर अनुज्ञा पत्राधारी एफ.पी.एस. कोड़ 25124 हैं। विपक्षी के प्रवर्तन निरीक्षक श्री लालशंकर डामोर द्वारा दिनांक 19.02.2018 का उचित मूल्य की दूकान माण्डवा–द्वितीय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण उपभोक्ताओं को खाद्य वितरण सामग्री की प्राप्ति रसीद नहीं देना, उचित मूल्य दुकान पर सूचना पट्ट संधारित नहीं करना, गोदाम में गेहूं के कट्टे व्यवस्थित नहीं रखने तथा पेश मशीन में गेहूं का स्टॉक 10445 किलोग्राम था, जबकि सत्यापन करने पर गोदाम में 9900 किलोग्राम गेहूँ उपलब्ध पाया गया । इस प्रकार स्टॉक के मुकाबले 545 किलोग्राम गेहूं कम पाया गया। इसी प्रकार 616 लीटर केरोसीन स्टॉक से ज्यादा पाया गया जो पोस मशीन में वितरण बताकर उपभोक्ताओं को नहीं दिया गया। प्रार्थी पर उक्त आरोपों की प्रवर्तन निरीक्षण द्वारा विपक्षी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर उनके प्रकरण संख्या 5/2018 दिनांक 29.05.2018 द्वारा निराधार रूप से प्रतिभूति राशि रूपया 1000/– जप्त सरकार कर अनुज्ञा–पत्र एफ.पी.एस. को 25124 को निरस्त किया है जो विधि अनुसार नहीं होना अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित किया गया हैं। अपीलान्ट ने अपील में तथ्य अंकित किये हैं कि वक्त निरीक्षण उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण किया जा रहा था। खाद्यान्न

Scanned by CamScanner

वितरण के कारण गेहूँ के खाली एवं भरे हुए कट्टे बिखरे हुए थे। निरीक्षणकर्ता ने खाली पडे हुए कट्टो के नीचे गेहूँ के भरे हुए कट्टो की गणना किये बगैर ही अनुमान से 545 किलोग्राम गेहूँ कम पाये जाने का आंकलन करना विधि विरूद्ध हैं। वक्त निरीक्षण उपभोक्ताओं को खाद्यान्न (गेहूँ) वितरण की प्राप्ति रसीद दी गई हैं, किन्तु निरीक्षणकर्ता प्रवर्तन निरीक्षक ने उपभोक्ताओं से पुष्टि नहीं की हैं। उचित मूल्य की दुकान के सूचना पट्ट पर नियमित रूप से अंकन किया जाना बताते हुए निरीक्षणकर्ता द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई। उक्त उचित मूल्य की दुकान पर उपभोक्ता पहले गेहूँ प्राप्त करते हैं ताकि खाद्यान्न में केरोसीन की बदबू न आये। उपभोक्ताओं का गेहूँ एवं केरोसीन वितरण का पोस मशीन में अंगुष्ट करा दिये जाने तथा गेहूं वितरण के उपरान्त केरोसीन वितरण करने के कारण 616 लीटर केरोसीन अधिक पाया गया, जिसकी पुष्टि निरीक्षणकर्ता द्वारा उपभोक्ताओं से नहीं कर बगैर पुष्ट किये आरोपित किया जाना विधि संगत नहीं हैं। जिला रसद अधिकारी को अपीलान्ट द्वारा दिनांक 18.05.2018 को जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि मामले में अपीलान्ट क जवाब का किसी भी स्त्रोत से सत्यापन व सही स्थिति की जांच किये बिना तथा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिये बगैर निरीक्षण के आरोपों को सही मानना उचित नहीं हैं तथापि जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर ने प्रकरण संख्या 05/2018 दिनांक 29.05.2018 द्वारा अपीलान्ट का अनुज्ञा–पत्र एफ.पी.एस. कोड़ 25124 निरस्त कर देना कठोरता पूर्ण निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत हैं उक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विपक्षी द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2018 का निरस्त करने का अपीलार्थी ने अनुरोध किया हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी ने प्रकरण में जबाब प्रस्तुत न करते हुए मामले के तथ्य वक्त बहस प्रकट करने का अनुरोध किया। प्रकरण में पक्षकारों की बहस समायत की गई। अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति की गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि उचित मूल्य की दुकान माण्डवा द्वितीय का अनुज्ञाधारी एफ.पी.एस. 25124 होकर काफी समय से राशनधारियों को राशन सामग्री का वितरण करता हैं। उचित मूल्य दुकान माण्डवा–द्वितीय में दिनांक 19.02.2018 को राशनधारियों को गेहूँ एवं केरोसीन वितरण किया जा रहा था, उस समय उपभोक्ताओं की काफी भीड़ थी। उसी दिनांक 19.02.2018 को उक्त उचित मूल्य की दुकान का प्रवर्तन निरीक्षक श्री लालसिंह डामोर का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण उपभोक्ताओं को गेहूँ वितरण करने से वितरण सामग्री गेहूँ बिखरे पड़े थे तथा गेहूँ के खाली कट्टे भी गेहूँ के साथ पड़े हुए थे। प्रवर्तन निरीक्षण द्वारा स्टाक के मुकाबले 545 कि.ग्रा. गेहूँ कम पाया जाना के तथ्य गलत हैं, उनके द्वारा खाली पड़े हुए गेहूँ के कट्टो के नीचे भरे हुए गेहूँ के कट्टों की जानकारी नहीं की तथा न हीं बिखरे पडे हुए गेहूँ का

Scanned by CamScanner

नाप तोल किया गया हैं। निरीक्षणकर्ता द्वारा अनुमान द्वारा 545 कि.ग्रा. गेहूँ कम मात्रा में पाया जाने का अपीलार्थी पर आरोप लगाना पूर्णतया अन्याय पूर्ण हैं। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि वितरण में उपभोक्ता को गेहूँ कम दिया होता अथवा बगैर वितरण के ही उपभोक्ता को वितरण बता दिया होता तो गेहूँ की मात्रा अधिक पायी जाती। गेहूँ का वितरण जारी होने से अस्त व्यस्त कट्टे होने से गेहूँ की मात्रा का सही गणना नहीं की गई हैं तथा न हीं मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं द्वारा किसी प्रकार की शिकायत नहीं की गई हैं। अपीलार्थी विद्वान अभिभाषक ने तथ्य प्रकट किये कि उपभोक्ता पहले गेहूं प्राप्त करता हैं तथा गेहूँ वितरण होने के उपरान्त केरोसीन का वितरण किया जाता हैं, ताकि खाद्यान्न में केरोसीन के बदबू न आवे। कुल 616 लीटर केरोसीन स्टॉक से अधिक पाया जाने का कारण उपस्थित उपभोक्ताओं को गेहूँ वितरण के पश्चात् केरोसीन वितरण किया जाना था किन्तु निरीक्षणकर्ता द्वारा उपभोक्ताओं से केरोसीन वितरण बाबत कोई पुष्टि नहीं की गई अपितु माननीय न्यायालय द्वारा जप्तशुदा 616 लीटर केरोसीन को राजसात करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं। निरीक्षणकर्ता द्वारा उक्त उतिच मूल्य की दुकान की जांच रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 18.05.2019 को मामले का जबाब भी प्रस्तुत किया हैं। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर द्वारा जवाब की पुष्टि में मामलें की उल्लेखित तथ्यों की जांच कराये बीना ही अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बगैर प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी का अनुज्ञा–पत्र एफ.पी.एस. 25124 की प्रतिभूमि राशि 1000/– रूपया जप्त कर अनुज्ञा–पत्र निरस्त कर दिया गया हैं, जो विधि विरूद्ध होकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत हैं। अपीलार्थी के अभिभाषक ने उक्त तथ्यों के आधार पर अपील स्वीकार कर जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 05/2018 पारित निर्णय दिनांक 28.05.2018 को अपास्त करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी विभागीय पेरोकार (प्रवर्तन निरीक्षक) ने अपनी बहस में बताया कि उचित मूल्य दूकान माण्डवा–द्वितीय के वक्त निरीक्षण सूचना पट्ट संधारित नहीं किया गया था। राशन दुकान में साफ–सफाई नहीं थी। गेहूँ एवं गेहूँ के खाली कट्टे बिखरे हुए थे। विभागीय पैरोकार ने बहस में बताया कि स्टॉक के मुकाबले में 545 कि.ग्रा. गेहूँ कम पाया गया। स्टॉक के अनुसार केरोसीन की जांच करने पर 616 लीटर केरोसीन मौके पर अधिक पाया गया। स्टॉक से कम पाये गये 545 कि.ग्रा. गेहूँ का भौतिक सत्यापन अनुमानित किया गया हैं। विद्वान अभिभाषक ने वक्त निरीक्षण उपभोक्ताओं को गेहूँ आदि वितरण किये जा रहे थे, किन्तु वितरण की पुष्टि में उपभोक्ताओं के बयान निरीक्षणकर्ता द्वारा नहीं लिये जाने के तथ्य को पेरोकार सरकार द्वारा स्वीकार किया गया हैं। उक्त राशन की दुकान में 545 कि.ग्रा. गेहूँ मौके पर कम पाया जाना तथा 616 लीटर केरोसीन अधिक पाया जाना राज0 खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम)

Scanned by CamScanner

आदेश 1976 के तहत जारी किये प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन हैं। अपीलान्ट का उक्त कृत्य नियम विरूद्ध पाया गया। विभागीय पेरोकार ने बताया कि जप्तशुदा 616 लीटर केरोसीन को धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत इस न्यायालय के आदेश दिनांक 27.03.2019 द्वारा राजसात करने के आदेश दिये जा चुके हैं। अपीलान्ट को जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर द्वारा राशन दुकान क निरीक्षण के आरोपों के प्रतिरक्षण हेतु नोटिस दिये जाने पर कोई साक्ष्य व सबूत अपीलार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 05/2018 निर्णय दिनांक 29.05.2018 को यथावत रखा जाकर अपीलार्थी की अपील खारीज करने विभागीय पेरोकार ने अनुरोध किया।

उभय पक्षकारों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध रिकार्ड का गहनता से अध्ययन किया गया।

बहस एवं पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की उचित मूल्य की दुकान माण्डवा–द्वितीय होकर उसकी एफ.पी.एस. कोड 25124 हैं। उक्त उचित मूल्य की दुकान का प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 19.02.2018 को निरीक्षण करने पर स्टॉक के मुकाबले 545 कि.ग्रा. गेहूँ कम मात्रा में पाये गये तथा 616 लीटर केरोसीन अधिक मात्रा में पाया गया। वक्त निरीक्षण उक्त राशन दुकान पर उपभोक्ताओं को गेहूँ वितरण किया जा रहा था। पत्रावली में 545 क्वि. गेहूँ कम मात्रा में पाये जाने बाबत उपस्थित उपभोक्ताओं से राशन वितरण बाबत किसी से पुष्टि नहीं की गई तथा न हीं उपभोक्ताओं के बयान लिये गये हैं। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में प्रकट किया है कि गेहूँ के कट्टे बिखरे हुए थे तथा खाली कट्टो के नीचे भी गेहूँ मौके पर उपलब्ध थे, किन्तु गेहूँ का भौतिक सत्यापन माप तौल कर नहीं किया हैं, अपितु अनुमान के आधार पर 545 कि.ग्रा. कम गेहूँ होने का अरोप लगाया गया हैं। उक्त कथन पर विभागीय पेरोकार द्वारा 545 कि.ग्रा. गेहूँ कम होना अनुमानित बताना स्वीकार किया गया। उपभोक्ताओं को गेहूँ वितरण करने के पश्चात् केरोसीन वितरण करना अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बताकर स्पष्ट किया है कि जिससे खाद्यान्न में केरोसीन की बदबू न आ सके। साथ ही केरोसीन वितरण की अनियमितता बाबत उपस्थित उपभोक्ताओं के ताईद में बयान नहीं लिये गये। राशन दुकान के सूचना पट्ट के संधारण एवं वितरण सामग्री बिखरी हुई होने के तथ्यों की पुष्टि में विपक्षी द्वारा कोई प्रमाण पत्रावली पर पेश नहीं किये हैं। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक की जांच पर उनके प्रकरण संख्या 05/2018 में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 18.05.2018 को जबाब प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी के जबाब के तथ्यों की जिला रसद अधिकारी द्वारा जांच नहीं कराई गई तथा न हीं अपीलार्थी को सुनवाई एवं पर्याप्त सबूत पेश करने का अवसर दिया गया। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर ने प्रवर्तन निरीक्षक की जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बगैर उनके आदेश दिनांक 29.05.2018 द्वारा

Scanned by CamScanner

अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि रूपया 1000/– जप्त करने के आदेश दिये गये। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध हैं।

उपलब्ध दस्तावेजात, साक्ष्य से स्पष्ट है कि वक्त निरीक्षण गेहूं की वास्तविक मात्रा के बजाय मात्र उपलब्ध गेहूं का अनुमान ही लगाया गया। केरोसीन सामन्यतः गेहूं के वितरण के बाद किया जाता हैं। वक्त निरीक्षण यह शिकायत किसी ने नहीं की कि उन्हें केरोसीन का वितरण नहीं किया गया। जबकि जांच में तथ्यों को स्पष्टतः स्थापित कर कार्यवाही करनी चाहिए। अपीलार्थी द्वारा जांच के दौरान गेहूँ वितरण के आवंटन, वितरण एवं स्टॉक के शेष का ऑनलाईन दस्तावेज पेश किया है जिसमें निरीक्षण माह फरवरी में प्राप्त गेहूँ व वितरण बराबर होकर स्टॉक में गेहूँ शुन्य होना पाया गया।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2018 जिसके द्वारा अपीलार्थी के अनुज्ञा–पत्र एफ.पी.एस. कोड़ 25124 के निरस्त किया है, इस आदेश को अपास्त किया जाता हैं। अपीलार्थी जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को नियमानुसार नवीन प्रतिभूति राशि जमा करने पर उनका अनुज्ञा–पत्र बहाल किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। आदेश पालना हेतु निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चेतन देवड़ा)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner